न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री रोहित कुमार आर.ए.एस

मुकदमा न0 196/2018

वादी :– 1. निसार मोहम्मद पुत्र बरकतखांजी ।
2. समीर मोहम्मद पुत्र निसार मोहम्मद
3. मोहम्मद शाहिद पुत्र निसार मोहम्मद सभी जाति पठान मुसलमान निवासी जसोल तहसील पचपदरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. इकबाल मोहम्मद पुत्र अब्दुल गनी
2. फकीर मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहीम
3. राजूखां पुत्र अब्दुल रहीम
4. मिठुखां पुत्र अब्दुल रहीम, सभी जातियान मुसलमान निवासी जसोल तहसील पचपदरा हाल नदवान तहसील लूणी जिला जोधपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

दावा बाबत अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश अन्तर्गत धारा 88,188 आ.टी.ए

उपस्थित :– 1. श्री मुनीर अली पठान वादीगण वकील
2. श्री दुर्गेश दैया

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

प्रस्तुत वादी ने यह वाद पेश कर जाहिर किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के शामलाती भूमि मौजा सरहद जसोल में आई हुई है, जिसके खसरा नं0 504 रकबा 22.04 बीघा व खसरा नं0 507 रकबा 17.19 बीघा किस्म बारानी दोयम आई हुई है, जिसमें वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वजों का 1/4 व वादी व प्रतिवादीगण के भाई अब्दुल करीम का 1/4 हिस्सा था व मौके पर इसी तरह से काबिज है। वादी संख्या 2 व 3 की माता सहजादबानों ने दिनांक 15.07.2009 में खरीद कर ली व उसका नामान्तरकरण भी भर दिया गया। इस प्रकार सहजादबानों का उक्त जमीन में 1/2 हिस्सा दर्ज हो गया व निसार खां का 1/4 हिस्सा रहा व इकबाल मोहम्मद का 1/4 हिस्सा रहा। सहजादबनों का इंतकाल हो गया है, जिनके वादीगण ही वारिस है। वादीगण द्वारा उक्त जमीन का हल्का पटवारी

Scanned by CamScanner

पास हाल ही रेकर्ड का अवलोकन करने पर पता चला कि सहजादबानों के नाम की 1/4 जमीन इन्द्राज रेकर्ड में नहीं है व उक्त त्रुटी नामान्तरकरण भरते समय हो गई है। जिसका इल्म वादीगण को दिनांक 01.4.2018 को हुआ व प्रतिवीदीगण को भूल सुधार कराने का कहा गया परन्तु प्रतिवादीगण ने टालमटोल करते हुए बिल्कुल ही इन्कार कर दिया। उक्त त्रुटी को स्वीकार कराने हेतु अधिकारों की घोषणा का वाद लाना आवश्यक होने से अधिकारों की घोषणा का वाद पेश किया है।

उक्त आशय का वाद पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन दिनांक 24.4.2017 को जारी किया गया । प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 वकील उपस्थित ने जाहिर किया कि साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है।

वादी निसार मोहम्मद पी0 डब्लू–1 व मोहम्मद शाहिद पुत्र निसार मोहम्मद पी.डब्लू –2 का शपथपत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 दी.प.सं हेतु मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया व साक्ष्य ब्यान कलमबद्व कर शामिल पत्रावली किया गया।

हमने वादी व वादी वकील की बहस को सुना व मनन किया पत्रावली के संलग्न दस्तावेजा जमाबदी संवत 2071–2074 का अवलोकन किया गया ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार कर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूध ड्रिकी जारी की जाती है कि मौजा सरहद मौजा जसोल के खसरा नं0 504 रकबा 22.04 बीघा व खसरा नं0 507 रकबा 17.19 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के पूर्वजो का 1/4 तथा सहजादबानु के स्थान 1/4 हिस्सा अमल दरामद वादीगण के साथ राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद के आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है, प्रतिवादीगण किसी प्रकार का कोई दखल हस्तक्षेप वादीगण के हिस्से में नहीं करे एवं न ही अन्य सहयोगी वादीगण को उनके हक हिस्से व कब्जा कास्त की भूमि में दखलअदाजी कर बेदखल नहीं करें।

वाद व्यय पक्षकार अपना अपना वहन करें।

(रोहित कुमार)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Scanned by CamScanner